











# विचार

# आंदोलन कभी हारते नहीं

## विपक्ष का सेल्फ-गोल

संसद में पछे गए सवालों के जवाब में स्वास्थ्य राज्यमंत्री भारती पवार ने कोरैक्सीन और कोविशील्ड के प्रॉडक्शन के अलग-अलग आंकड़े बताए। विपक्ष को इस पर सरकार को धेरना चाहिए था। संसद के मॉनसून सत्र की आधे से ज्यादा अवधि हंगामे की भेट चढ़ चुकी है। 19 जुलाई को शुरू हुआ यह सत्र 13 अगस्त तक चलना है। अभी तक इसमें नाम मात्र का ही काम हुआ है। सरकार ने कुछेक बहुत जरूरी बिल बिना किसी बहस के पारित करवा लिए गए हैं। संसद में जो भी थोड़ा-बहुत काम हो रहा है, वह उसमें दूसरे जरूरी विधेयक भी इसी तरह से पास करवा सकती है। इसलिए संसद के कामकाज में बाधा डालकर विपक्ष सेल्फ-गोल कर रहा है। अच्छा होता अगर वह संसद का इस्तेमाल सरकार से तीखे सवाल करने के लिए करता। उसके पास इसके लिए कई मुद्दे हैं।

खासतौर पर कोरोना महामारी की दूसरी लहर की अव्यवस्था। लोगों के मन में उस दौर की यादें ताजा हैं। इसीलिए जब आरजेडी सांसद मनोज झा ने सदन में दूसरी लहर में हुई मौतों पर देश से माफी मांगते हुए सबके लिए स्वास्थ्य के अधिकार की मांग की तो उसकी काफी चर्चा हुई। ऐसा ही एक मुद्दा वैक्सीन का भी है। टीकाकरण की रफतार बहुत धीमी हो गई है। इसकी गति बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है और यह काम कब तक पूरा होगा, विपक्ष को सरकार से इसका जवाब मांगना चाहिए।

संसद में पूछे गए सवालों के जवाब में स्वास्थ्य राज्यमंत्री भारती पवार ने कोरैक्सीन और कोविशील्ड के प्रॉडक्शन के अलग-अलग आंकड़े बताए। विपक्ष को इस पर सरकार को धेरना चाहिए था। ऑक्सिजन की कमी से हुई मौतों पर पूछे गए प्रश्न पर भारती पवार ने जो जवाब दिया, उसे लेकर देशभर से नाराजगी सामने आई। अखिरकार मंत्रालय को कहना पड़ा कि वह इस बारे में ठीक से आंकड़े जुटाएगा। फिर, देश की खराब अर्थव्यवस्था का मुद्दा भी है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने देश की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 3 फीसदी घटा दिया। इसका मतलब यह है कि एक तरफ जहां कोरोना की दूसरी लहर ने आर्थिक रिकवरी को धीमा कर दिया, वहीं दूसरी तरफ सरकार के दिए गए आर्थिक पैकेज से उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले। पेट्रोल, डीजल पर भारी टैक्स भी एक बड़ा मुद्दा है, जो हर इंसान की जिंदगी पर असर डाल रहा है। इस तरह की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि पेट्रोलियम गुड्स की महंगाई के कारण लोग ग्रॉसरी बिल में कटौती करने को मजबूर हुए हैं।

कृषि कानूनों का भी मामला है, जिस पर किसान आंदोलनरत है। बेशक, पेगासस भी एक मुद्दा है, लेकिन इसे लेकर अदालत में याचिकाएं दाखिल की गई हैं। विपक्ष को देखना चाहिए कि वहां इसे लेकर क्या होता है। उसे समझना होगा कि राज्यों में हुए पिछले दौर के चुनाव में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाने, महामारी और आर्थिक मुद्दों को लेकर सरकार दबाव में है। संसद में सवाल पूछकर उसे केंद्र पर दबाव और बढ़ाना चाहिए। संसद के कामकाज में बाधा डालने से उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा, उलटे बीजेपी इससे खुश होगी।

चिन्मय मिश्रा

दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर पिछले करीब 2 महीनों से किसान बैठे हैं। वे तीन कृषि कानूनों की मुख्यालफत करते हुए उन्हें वापस लिए जाने की बात पर अड़े हैं। इसी दौरान 26 जनवरी को आयोजित ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा की वजह से आंदोलन के स्वरूप व नीयत पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है। जाहिर है सवाल तो उठेंगे ही। उनमें से कुछ वाजिब होंगे और कुछ गैर वाजिब। आरोप-प्रत्यारोप में यह होगा कि एक पक्ष आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की आइ लेकर कृषि कानूनों के सत्यापन का प्रयास भी करेगा और आंदोलन के उस दिन अधिकांशतः शांत रहने की बात को नजरअंदाज करेगा। यह बात मीडिया के अधिकांश वर्ग पर लागू होती है। परंतु हमें यह याद रखना होगा कि वास्तविक व उद्देश्यपूर्ण आंदोलनों की कभी हार नहीं होती। वे एक महायुद्ध लड़ रहे होते हैं, जिसमें कई बार विजेता छोटी लड़ाई हार भी जाते हैं। आंदोलन ठिक कर रुकते जरूर हैं, कई बार वे अपने को वापस भी ले लेते हैं, परंतु अंततः वे एक शाश्वत इकाई की तरह समाज व आंदोलनकारियों के अवचेतन में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और किसी एक दिन पुनः अवतरित भी हो जाते हैं। वर्तमान किसान आंदोलन में अब तक करीब 150 से ज्यादा किसान अपने आप को पूर्ण समर्पित कर चुके हैं। सरकार व आंदोलनकारियों के बीच की 11 दौरों की चर्चा का परिणामहीन होना यह समझा रहा है कि गतिरोध का हल निकालने के तरीके पर कोई गंभीरता नहीं बरती जा रही है। हम देखते हैं कि राष्ट्र की सरकारें अपने विरोधी राष्ट्रों से संबंध ठीक बनाने के लिए पिछले दरवाजे से चर्चाएं हमेशा जारी रखती हैं, जबकि हम सबको यह लगता रहता है कि सब कुछ ठंडे बरसे में चला गया है। परंतु यहां ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। किसी भी समझौते की अनिवार्य शर्त यह है कि आपको अपने विरोधी के प्रति सम्मान का प्रदर्शन

करना होगा। सरकार जिस पर कि समस्या के निराकरण की जिम्मेदारी है, उसे सही त सहनशील बनना और रहना ही पड़ेगा। परन्तु किसान आंदोलन में तो सारे अनर्गल आरोप सरकार की ओर से ही लगाए जा रहे हैं। क्यों यह हम और आप अच्छी तरह से जानते और समझते हैं।

सरकार से असहमति का अर्थ कभी भी यह नहीं हो सकता है कि सामने वाला पक्ष देशविरोधी और गैर जिम्मेदार है, दो महीनों तक समस्या का हल न निकाल पाना केंद्र सरकार की बड़ी नाकामी है। किसान आंदोलन के ऐसे नेता जिनका कि हिंसा और बढ़यन्त्र में विश्वास नहीं है, उन पर हिंसा भड़काने व बढ़यन्त्र करने के आरोप लगाना व पुलिस रिपोर्ट में उन्हें नामजद करना, सरकार की एक और असफलता है। गौरतलब है, सरकारों के पास प्रत्येक सक्रिय कार्यकर्ताओं और आंदोलन की अगुवाई करने वालों /वाली के बारे में पूरी जानकारी होती है। अधिकारी और राजनीतिज्ञ जानते हैं कि वास्तविक सच क्या है। इसके बारजूद एक बनेबनाए ढर्ड पर कलम घसीटते रहते हैं। वे कोशिश करते हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन की अगुवाई करने वालों को बदनाम कर आंदोलन को बदनाम किया जाए और अंततः इसे समाप्त कर दिया जाए अथवा करा दिया जाए।

आधुनिक प्रशासन की यही सबसे बड़ी चूक है। वे समस्या के समाधान के बजाए उसे दबा देते हैं। इसके परिणामस्वरूप वह समस्या राख के ढेर के नीचे आग की तरह कभी भी पुनः भभक सकती है। सच्चे एवं ईमानदार नेतृत्व को नस्त करने से स्थितियां बेकाबू होती चली जाती हैं और नेतृत्व कुछ ऐसे लोगों के हाथ में आ जाता है जो क्षणिक आवेश जलाकर इसे दिशाहीनता की ओर प्रस्थान करता देते हैं।

इसे एक जीवंत उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन की वरिष्ठ कार्यकर्ता मेधा पाटकर पर भी दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है। वे पिछले करीब चार दशक से सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय हैं। किसी आंदोलन में उनकी उपस्थिति मात्र ही यह संदेश देती है

गौरतलब है कि 8 अगस्त को कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी ने कहा था, 'वास्तविक संघर्ष तुरंत ही प्रारंभ नहीं हो जाता आप लोगों ने कुछ अधिकार मुझे सौंपे हैं। मेरा पहला काम होगा वायसराय से मूलाकात करना और उनसे प्रार्थना करना कि कांग्रेस के मांग स्वीकार की जाए।' परन्तु वास्तव में जो हुआ वह पहले ही लिखा जा चुका है। 26 जनवरी 2021 की घटना के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि हम महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय के लिनलिथो के संवाद पर गौर करें। ज्ञातव्य है महात्मा गांधी उस दौरान कारागार में थे। उन्होंने 31 दिसंबर 1942 को वायसराय लिखा था यह बिलकुल व्यक्तिगत पत्र है। मेरा ख्याल है हम आपस में मित्र हैं। मगर 9 अगस्त की घटनाओं से मुझे शंका हो गई है कि आप मुझे मित्र समझते हैं या नहीं। कई कार्यवाही करने के पहले आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं इसी पत्र में देउपवास का अपना निश्चय भी बताते हैं। वायसराय अपने उत्तर में लिखते हैं 'मुझे दुख है कि इस हिंसा और अपराध के लिए एक शब्द भी नहीं लिखा।' गांधीजी जवाब देते हैं '9 अगस्त की घटनाओं के लिए मुझे खेद है है किंतु क्या इसके लिए भारत सरकार को दोषी ठहराया है इसके अलावा जिन घटनाओं पर न तो मेरा प्रभाव है और न ही काबू तथा जिनके बारे में मुझे केवल एकतरफा बयान मिला है, उन पर मैं कोई मत प्रकट नहीं कर सकता।' इस पर लिनलिथो ने जवाब में कहा कि 'मैं पास इसके सिवा और कोई विकल्प नहीं है' और लूटमार के आंदोलन के लिए कांग्रेस और उसके अधिकृत प्रवक्ता आपको जिम्मेदार मानें। इसके जवाब में गांधी जी ने लिखा 'सरकार ने ही जनता को उदाहरक पागलपन की सीमा तक पहुंचा दिया है मैंने जीवन भर अहिंसा के लिए प्रयत्न किया है किर भी आप मुझ पर हिंसा का आरोप लगाते हैं, इसलिए मेरे दर्द के जब तक मरहम नहीं मिलती मैं सत्याग्रही के नियम का पालन करूंग अर्थात् शक्ति के अनुरूप उपवास करूंग जो 9 फरवरी को शुरू होगा और 21 दिन बाद भी दोनों के बीच विस्तृ

संवाद हुआ था। इन संवादों की तारीख हटा दीजिए और मनन कीजिए क्या आज स्थितियों में ज्यादा परिवर्तन आया है हमें याद रखना होगा कि आंदोलन की कोई समय सीमा नहीं होती। दलितों की अस्मिता का आंदोलन सहस्राब्दियों से अनवरत चल रहा है। इसमें अपनी उम्मीद जागी है। आदिवासियों के आंदोलन भी शताब्दियों से चल रहे हैं, परंतु उम्मीद आज भी धूमिल है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे आंदोलन चार दशक के बाद अब जीत से ज्यादा स्वाभिमान की प्राप्ति के लिए संघर्षरत हैं। सारे राजनीतिक दल जो आज सत्ता में हैं और जो कल आ सकते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि आंदोलन न तो हारते हैं और न मरते हैं। सिर्फ उनकी जीत स्थगित रहती है। वस्तुतः वे अजर अमर रहते हैं। भारत के किसानों का आंदोलन भी ऐसा ही है। शाश्वतता के साथ वह आज नहीं तो कल अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही ले गा। यह आन्दोलन आज अपनी विजय या जीत से ज्यादा की आकांक्षा लिए हुए है, जो अवश्य पूरी होगी। आंदोलन में गांधी की उपस्थिति इतनी व्यापक है कि वह अनुपस्थित सी हो गयी है। वह एक सुवास सी है जो दिखाई तो नहीं देती पर महसूस हमेशा होती है। अंत में गांधी से अलग राह पकड़ उसी गंतव्य पर पहुँचने वाले कास्तों की ही कुछ पंक्तियाँ 'ए मृत शरीरों' कल तक तुम अपनी मातृभूमि की आशा थे / अपनी हड्डियों की आग से मेरे माथे पर तिलक लगा दो / और मेरे हृदय को अपने ठन्डे हाथों से स्पर्श करो/ मेरे कानों के पास आकर चीत्कार करो/ मेरी एक-एक आह/ एक और जालिम के कानों के परदे को फाड़ देगी/ मेरे आत्सपास जमा हो जाओ ताकि/ मैं तुम्हारी आत्मा को आत्मसात कर सकूँ/ तुम कब्रिस्तान की वीभत्सता मुझे डे डालो/ क्योंकि गुलामी में जीवन बिताने वाले को/ आंसू कभी भी पर्याप्त नहीं होते। इसीलिए आंदोलनों का सर्वाधिक प्रिय नारा है 'लड़ेंगे जीतेंगे'।

इतिहास हमारे कामों का मूल्यांकन करेगा  
कि हमने आपदा में कैसा बर्ताव किया

प्रियंका चतुर्वेदी

पिछले साल 9 मार्च को जब महाराष्ट्र की नई सरकार कामकाज में व्यवस्थित हो ही रही थी कि तभी कौविड की खतरनाक दस्तक सुनाई देनी लगी। महामारी का बायरस सिर्फ अपने देश ही नहीं पूरे विश्व के लिए नया था। तब हमारे आसपास कई तरह के तर्क दिए जा रहे थे कि भारत के लोगों के पास बेहतर इम्युनिटी है, यहां ऐसा गर्म वातावरण है कि यह मारक बायरस अमेरिका, यूरोपीय देशों की तरह नहीं पसरेगा। भारत इसके प्रकोप से बचकर रहेगा। इन्हीं दिलासों के बीच सुस्ती होती जा रही थी। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार सकारात्मक उम्मीदों के साथ किसी तरह की सुस्ती में जाने के बजाय सबसे बुरे दौर से लड़ने के लिए जुट गयी। याद होगा कि सबसे पहले मुख्यमंत्री उद्घव ठाकरे जो निण्य लिया था वह था 11 डॉक्टरों के मेडिकल टास्क फोर्स का गठन करना। मेडिकल एक्सपर्ट की टीम वाली टास्क फोर्स को कौविड से लड़ने के लिए नीति और उसे संचालन करने का काम दिया। उन्होंने ही सबसे पहले-टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटिंग का फार्मुला दिया जो तभी से लेकर आजतक कौविड के खिलफ जंग में सबसे प्रमुख हथियार है। तब जहां राज्य में विपक्ष के रूप में बीजेपी राजनीति करने में जुटी थी तो केंद्र सरकार विपक्षी राज्यों को अस्थिर करने में जुटी थी, लेकिन महाराष्ट्र ने कौविड से जंग में पहली पहल ली और कई रास्ते दिखाए। तमाम अवरोधों को दूर करने के लिए कदम उठाए। देश में महामारी के पुराने मिसाल बताते थे कि जहां आबादी का घनत्व सबसे अधिक रहा वहां महामारी का प्रकोप सबसे अधिक रहा है। मुंबई में न सिर्फ सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय दूरवार्ता अड्डा है बल्कि सबसे बड़ा सम डलाला भी है। विश्व की मरम्मते

# राजनीति इकबाल का खेल है

शकील अख्तर

गांधी का शराफत वाला शासन चल रहा था। जहा हर नेता यह समझता था कि वह कुछ भी करे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अभी हाल मैं उनकी बीमारी, अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उन 23 कांग्रेस नेताओं (जी 23) ने उन्हें एक गुट बनाकर शिकायती पत्र लिखा जो यूपीए के दस साल के शासनकाल में सबसे मलाईदार मंत्रालयों के मंत्री रहे। यह हद थी। मगर सोनिया ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बदले उन्हें बुलाकर उनसे बात की। पद दिए। विभिन्न समितियों में एडजस्टमेंट किया। लेकिन नतीजा क्या निकल उत्तर प्रदेश में जहां प्रियंका गांधी खुद एक मुश्किल लड़ाई में कूद पड़ी है, वहां के नेता, जी 23 वाले जितनी प्रसाद सीधी भाजपा में चले गए। तो ऐसे मैं जब कांग्रेस के क्षत्रप सोनिया, प्रियंका और राहुल को ही सीधे चैलेंज कर रहे हों तो कांग्रेस के पास दो ही रास्ते बचते थे। या तो वह क्षत्रों के सामने समर्पण कर दे या अपनी ताकत दिखा दे। कांग्रेस ने दूसरा रास्ता चुना। और यही राजनीति का रास्ता है। दरअसल कांग्रेस में हो क्या रहा था, यह हमने पिछले दिनों एक ट्वीट (थ्रेड) में कहा था। वह ट्वीट वायरल हो गया। शायद कांग्रेस की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के कारण। उसमें कहा था कि किसी भी राज्य में कोई क्षत्रप अपने दम पर नहीं जीता तो है। गांधी नेहरू परिवार के नाम पर ही गरीब, कमज़ोर वर्ग, आम आदमी का वोट मिलता है। मगर चाहे वह अमरिन्दर सिंह हों या गहलोत या पहले शीला याकोई और मुख्यमंत्री बनते ही यह समझ लेते हैं कि उनकी वजह से ही पार्टी जीती। 20 साल से ज्यादा अध्यक्ष रहीं सोनिया ने कभी अपना महत्व नहीं जताया। नतीजा यह हुआ कि वे गोट लाती थीं और कांग्रेसी अपना चमत्कार समझकर गैर जवाबदेही से काम करते थे। सिद्ध को बायका तेज़तर ते गयी किया। ताकून तबाहा नहीं था।

बनाकर नवृत्त न सहा कया। ताकत बताना जरुरा था।  
इन दो टीवीटों के थ्रेड पर हमें गालियां भी मिलीं और कंग्रेस के महासचिव राजस्थान के इन्वार्ज अजय माकन द्वारा इसे रिटवीट कर देने से राजनीतिक हंगामा भी हो गया। लोग अपने-अपने आशय भी लगाने लगे। मगर कंग्रेस के कार्यकर्ताओं को यह अच्छा लगा। जो प्रतिक्रियाएं आईं वे बता रही थीं कि वर्कर पार्टी नेवृत्त को मजबूत देखना चाहता है। और खुद के लिए काम करने के मौके चाहता है। राजस्थान में पहलीवाले भी आधा साल चिकाल दिया। पाप! अभी तक होईं और

कारपोरेशनों में नियुक्तिया नहीं की। मात्रमडल में भी 9 जगह खाली हैं और अकेले मुख्यमंत्री गहलोत 35 विभाग देख रहे हैं। जो वास्तव में ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान कई बार अफसरशाही पर लगाम लगाने, नए मंत्री बनाने और बोर्ड, कारपोरेशन में कार्यकर्ताओं को नियुक्तियां देने की बात कह-कहकर थक चुका था। पिछली बार भी चास साल तक गहलोत ने नियुक्तियां नहीं की थीं। नतीजा कार्यकर्ता दुखी रहे और कांग्रेस हार गई। यह संयोग नहीं है कि 1998 से अब तक तीन बार सेनिया ने गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया। और तीनों बार कार्यकर्ताओं की बेकद्री ही है और कांग्रेस रिपोर्ट नहीं कर पाई।

पंजाब में भी यही हआ। 2002 में सोनिया गांधी ने अमरिन्दर सिंह को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया था। 2007 में कांग्रेस हारी और उसके बाद अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल दस साल मुख्यमंत्री रहे। 1952 के बाद शुरू में कई सालों तक वहां कांग्रेस का ही शासन रहा। मगर 1977 में केन्द्र में कांग्रेस के हारने के बाद राज्यों में भी परिवर्तन हुआ और पंजाब में अकाली दल के बादल ने। उसके बाद से वहां हर पांच साल में सरकार बदलती रही। मगर 2007 में अमरिन्दर के बाद दस साल बादल का शासन रहा। पंजाब के कांग्रेसी विधायकों की चिन्ता कम मुख्य कारण यह था। अमरिन्दर पटियाला महाराज की अपनी ठसवक में कार्यकर्ता और विधायकों को ही नहीं कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं को नजरअंदाज करते थे। पहले कार्यकाल में उनकी जो शिकायत थी कि वे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नजदीकी लोगों की भी बात नहीं सुनते, वह इस बार भी जारी रही। तो हाईकमान के नजदीकी लोगों से लेकर विधायकों, कार्यकर्ताओं की नाराजगी के बाद भी अगर कांग्रेस अमरिन्दर को उनकी सही जगह नहीं दिखाती तो उसका अस्तित्व और कमजौर हो जाता। पार्टी को अपनी अथारटी दिखाना जरूरी था। और यह फिर सबने देखा कि जैसे ही हाईकमान ने अपने इकबाल दिखाया विधायक किस तरह अमरिन्दर को छोड़कर भागे आज कांग्रेस जितनी कमजौर है उतनी कभी नहीं रही। पार्टी इससे ज्यादा कमजौर और क्या होगी ऐसे में भी अगर कांग्रेस नेतृत्व डर का काम करता रहा तो राज्यों में जड़ें जमाए बैठे क्षत्रप उसकी क्यों सुनेंगे। प्रॅन्जल गंगा पाटल की यारी बतृत है।

# रोके ना रुकी भोजपुरी भासा के विकास

सन्तोष पटेल

2011 के रपट आ गइल बा। भाजपुरा समाज में आपने भाषा के प्रति जागरण देखल जा सकेला। बहुत खुशी के बात बा बाकिर जागरण के जरूरत अभियो महसूस हो रहल बा बाकिर भोजपुरी बोलनिहार के संख्या में 1999-2001 के बनिस्पत 2001- 2011 में एक करोड़ सत्ताईस लाख अस्सी हजार के बढ़तरी भइल बा। 2001 में भोजपुरी के पहिल मारुभाषा के रूप में 39,445 300 लोग बोलनिहार रहे, जबकि दूसरकी मारुभाषा के रूप में 74,100 लोग बोलनिहार रहल। बाकिर भाषा सर्वेक्षण आपन रपट में 37,800,000 बतवले रहे। 2011 में भाषा सर्वेक्षण के रपट बतलावत बा कि भोजपुरी बोलनिहार के संख्या 50,580,000 बा। मतलब भारत के जनसंख्या के 4.18 भोजपुरी भासी बाड़िन। एकरा से ई बात साबित हो रहल बा कि भोजपुरी भासी लोगन में आपन के दिसाई जागरुकता बढ़त बा। उचित धूमधारा के साथ संशोधित सामाजा से अधिक से

बढ़ल बा। बाकीर भारत सरकार के एकरा सवैधानिक मान्यता से ऑभया वंचित रखले दिया।

जब कबो एकर मांग भइल सरकार के ओर से कवनो ना कवनो कमिटी के पैंच में एकरा के फंसा दिहल गइल। देश के संविधान लागू भइल त 14 गो भासा के संविधान के अष्टम अनुसूची में शामिल कइल गइल। तब ना कवनो मापदंड रहे, ना कवनो-कवनो कमिटी रहे। इहो सच्चाय बा कि देश के राजकाज के भासा खातिर संविधान सभा में बहत

जिरह भइल, चचा भइल आखर म हादा राजकाज के भाषा, दवनगरी लिपि आ रोमन के संख्या तय भइल। बाबा साहेब अंबेडकर जी संविधान सभा में कहले रहीं कि - संविधान के कवनों अनुच्छेद तय करे में एतना विवाद ना भइल रहे जेतना हिंदी के सवाल पर अनुच्छेद 115 खतियां भइल। खैर हिंदी के अलावा बाकिर 13 गो भास में कवनों प्रतिवाद न भइल। 1967 में सिंधी भासा, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी आ नेपाल 2004 में बड़ो, डोगरी, मैथिली आ संथाली के संवैधानिक मान्यता मिलल ओह बेरा ना कवनो कमिटी बनल ना कवनो मापदंड तय भइल। कहे न होई कि भोजपुरी भासी धरती परंपरा से आंदोलन के धरती रहल बिअर बाकिर अपना भासा के, सहित्य आ संस्कृति के लेके एकरा आंदोलन वे सुगबुगाहट आजादी के लडाई के संगे-संगे शुरू भइल। ओह आंदोलन वे सूत्रधार लोग में प्रमुख रहीं - बहुभाषाविद आ बहुमुखी प्रतिभा के धर्न महापंडित राहुल साकृत्यायन, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी, डॉ वासुदेवशरण अग्रवाल, परमश्वरी लाल गुप्त, वर्गरह। चतुर्वेदी जी सन 1934 ईस्ती में कलकत्ता के 'विशाल भारती' में एह आंदोलन के ऊपर एक लेख लिखनी। भोजपुरी के पक्ष में सबसे पहले सुगबुगाहट त 10 मार्च 1940 में कुंडेश्वर (टीकमगढ़) में आयोजित ब्रज आर बुद्धेलखंड से आइल कार्यकर्ता लागन के बैठक से भइल।



अनाथ हुए सभी बच्चों का सहारा बनेगी योगी सरकार

# हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये, 23 वर्ष तक आर्थिक सहायता

लखनऊ (एजेंसी)। राज्य सरकार ने अब प्रदेश के अनाथ बच्चों को आर्थिक मदद देने का नियन्त्रण लिया है।

'मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामाजिक)' के तहत ऐसे किशोरों को भी मदद मिलेगी जो किसी भी कारण से अनाथ या प्रभावित हुए हों या फिर विकासशील, बाल विश्वावृत्ति आदि से मुक्त हुए हों। कोविड संक्रमण या अन्य कारणों से अनाथ प्रभावित हुए 18 वर्ष से कम और 18 से 23 वर्ष तक किशोरों व युवाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह की मदद दी जाएगी। इस संबंध में सोमवार को कैबिनेट बाइसक्युलेशन में नियन्त्रण लिया गया है। इस योजना का लाभ



परिवर्तक व तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों को भी दिया जाएगा।

अभी लगभग 4500 बच्चों को 'मुख्यमंत्री बाल विकास योजना' के तहत 4000 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं, जिन्होंने

कोविड संक्रमण के कारण अपने माता-पिता या किसी एक अधिकारक को खो दिया है। अब इस नई योजना में उन बच्चों को भी शामिल किया गया है जो किसी भी कारण से अनाथ या प्रभावित

हुए हैं। योजना में 18-23 वर्ष तक के किशोरों-युवाओं को भी मदद दी जाएगी।

इस योजना का लाभ एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को मिल सकता। कक्षा 12 की शिक्षा के बाद आगे की पढ़ाई में उत्तीर्ण कर चुका हो। ऐसे किशोर या युवा जिनकी मातृताक्षण झींगे या परिवर्त्यक हैं या फिर माता-पिता या परिवार का मुख्य सदस्य जेल में हो या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें बाल अम, बाल विश्वावृत्ति/बेश्यावृत्ति से मुक्त कराकर परिवार/परिवारिक वातावरण में समायोजित कराया गया है। ऐसा किशोर जो कक्षा 12 तक शिक्षा पूरी करने वें बाद

सरकारी कॉलेज, विवि या तकनीकी संस्थान से सनतक डिग्री या डिप्लोमा की शिक्षा ले रहा हो या फिर नीट, जैईई, वैन्ट जी सी राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं प्रतिशोध कर चुका हो।

योजना के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक योजना में संशोधन घर परिवर्तन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। ऐसा किशोर जो कक्षा 12 तक शिक्षा पूरी करने वें बाद

## फ्री राशन: पांच अगस्त को यूपी में 80 लाख राशन कार्ड धारकों को बंटेगा मुफ्त में गेहूं और चावल

लखनऊ (एजेंसी)। यूपी सरकार 05 अगस्त को प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा राशन वितरण कार्यक्रम करने जा रही है। इस दिन 80 लाख राशन कार्ड धारकों को 80 जारी दुकानों से अनाज बंटेगा।

पहली बार इनी बड़ी संख्या में किये जा रहे राशन वितरण कार्यक्रम में प्रत्येक राशन की दुकान पर 100 राशन कार्ड धारकों को राशन बांटा जाएगा। इनना ही नहीं इसी दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी उत्तर प्रदेश के 80 हजार स्थानों पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अनन्य योजना वें लाभाधिकारी से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस दौरान राशन कार्ड धारकों, जन प्रतिनिधियों, बैंक व निगमों के पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे। योजना के तहत मिले लाभ से उनके जीवन में आए बदलाव को जानकारी भी उनसे साझा करेंगे। मुख्यमंत्री योजना को ही उनके अधिकारी को आदित्यनाथ ने 05 अगस्त



को होने वाले इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिये टीम-9 के अधिकारियों से प्रदेश में तैयारियां तेज करने को कहा है। सरकर प्रणाली के आधार पर सभी जलरी प्रबल्क करने के निर्देश दिये दिये हैं। अधिकारियों से ज्यादा से ज्यादा टेलीविजन सेट, वीडियो वॉल लगाने को कहा गया है जिससे अधिक से अधिक लोग प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। केंद्र सरकार की ओर से 'प्रधानमंत्री गरीब अनन्य कल्याण योजना' के तहत नवम्बर तक व्यक्ति को 80 किलो राशन आदि और राज्य सरकार की ओर से

पीएम मोदी के सलाहकार अमरजीत सिंहा ने दिया इस्तीफा, पीएमओ छोड़ने वाले साल के दूसरे बड़े अधिकारी



नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सलाहकार अमरजीत सिंहा ने सोमवार के इस्तीफा दे दिया। हालांकि, इसीके लेकर कई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है, लेकिन हिन्दुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों से इसकी पुष्टि की है।

सिंहा ने इस्तीफे के लेकर एचटी के सवालों पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। सिंहा 1983 बैठ के बिहार केंद्र के आईएस अधिकारी है। प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री के कुलपति प्रो. आलोक तुमर अर्थ, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा आरामदान शक्ति, एडीजीटी के संबंध में कोई भी प्रभावित पाए जाने पर तकाल कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। वह नकल विहीन संपन्न कराए जाने के संबंध में विहीन टीमों को बाली टीजीटी भर्ती भर्ती परीक्षा और अन्यायिता के माध्यम से डॉ. शर्मा ने प्रदेश के सभी कृत्यानियों, मंडलायुक्तों, जिलाधीकारियों, पूलेस अधीक्षकों, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों, संयुक्त शिक्षा निदेशकों तथा जिला विद्यालय निकायों को परिक्षाओं के संबंध

सचिव के स्वयं योजना के लिए विद्यालय के उच्चारण की जाए। अपर मुख्य सचिव यह अवैधी कुमार अवस्थी ने कहा कि असामाजिक तत्वों तथा संबद्धतालैं परीक्षा केंद्रों का चिह्नितण्ण लिया जाए और उन पर विशेष निगमी रखी जाए। परीक्षाओं के अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है।

सिंहा ने इस्तीफे को लेकर एचटी के सवालों पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। सिंहा 1983 बैठ के बिहार केंद्र के आईएस अधिकारी है। प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री के कुलपति प्रो. आलोक तुमर अर्थ, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा आरामदान शक्ति, एडीजीटी के संबंध में कोई भी प्रभावित पाए जाने पर तकाल कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह निर्देश भी दिया कि एचटीम के लिए एक टीम को बाली टीजीटी भर्ती परीक्षा को शुरू करना चाहिए एवं नकल विहीन ढंग से संपादित कराई जाए।

उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश

दिया कि किसी भी परीक्षा केंद्र से परीक्षा की शिक्षितों से संबंधित अप्रिय प्रश्न नहीं होनी चाहिए। परीक्षा और अन्यायिता के बाली टीजीटी भर्ती परीक्षा और 17 व 18 अगस्त को प्रस्तावित एडीजीटी की भर्ती परीक्षा को शुरू करना चाहिए एवं नकल विहीन ढंग से उचित कराई जाए।

दिया कि किसी भी परीक्षा केंद्र से

परीक्षा की शिक्षितों से संबंधित अप्रिय प्रश्न नहीं होनी चाहिए।

वैनी भर्ती भर्ती परीक्षा के बाली टीजीटी भर्ती परीक्षा को शुरू करना चाहिए एवं नकल विहीन ढंग से उचित कराई जाए।

दिया कि किसी भी परीक्षा केंद्र से

परीक्षा की शिक्षितों से संबंधित अप्रिय प्रश्न नहीं होनी चाहिए।

दिया कि किसी भी परीक्षा केंद्र से

परीक्षा की शिक्षितों से संबंधित अप्रिय प्रश्न नहीं होनी चाहिए।

दिया कि किसी भी परीक्षा केंद्र से

परीक्षा की शिक्षितों से संबंधित अप्रिय प्रश्न नहीं होनी चाहिए।

दिया कि किसी भी परीक्षा केंद्र से

परीक्षा की शिक्षितों से संबंधित अप्रिय प्रश्न नहीं होनी चाहिए।

दिया कि किसी भी परीक्षा केंद्र से

परीक्षा की शिक्षितों से संबंधित अप्रिय प्रश्न नहीं होनी चाहिए।

दिया कि किसी भी परीक्षा केंद्र से

परीक्षा की शिक्षितों से संबंधित अप्रिय प्रश्न नहीं होनी चाहिए।

दिया कि किसी भी परीक्षा केंद्र से

परीक्षा की शिक्षितों से संबंधित अप्रिय प्रश्न नहीं होनी चाहिए।

दिया कि किसी भी परीक्षा केंद्र से

परीक्षा की शिक्षितों से संबंधित अप्रिय प्रश्न नहीं होनी चाहिए।

दिया कि किसी भी परीक्षा केंद्र से

परीक्षा की शिक्षितों से संबंधित अप्रिय प्रश्न नहीं होनी चाहिए।

दिया कि किसी भी परीक्षा केंद्र से

परीक्षा की शिक्षितों से संबंधित अप्रिय प्रश्न नहीं होनी चाहिए।

दिया कि किसी भी परीक्षा केंद्र से

परीक्षा की शिक्षितों से संबंधित अप्रिय प्रश्न नहीं होनी चाहिए।

दिया कि किसी भी परीक्षा केंद्र से

परीक्षा की शिक्षितों से संबंधित अप्रिय प्रश्न नहीं होनी चाहिए।

दिया कि किसी भी परीक्षा केंद्र से

परीक्षा की शिक्षितों से संबंध